भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:3404

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राजस्थान में मातृ/शिशु मृत्यु दर की स्थिति

3404. श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जून, 2025 तक राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और टीकाकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) इस संबंध में क्रियान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके परिणाम क्या हैं;
(ग) क्या सिकल सेल मिशन जैसी कोई पायलट योजना क्रियान्वित की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) संस्थागत प्रसव और पोषण में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) क्या स्थानीय गैर-सरकारी संगठन/सामुदायिक कार्यकर्ता के साथ कोई साझेदारी की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): भारत के महारजिस्ट्रार (आरजीआई) द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) और शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) प्रदान करती है। मातृ मृत्यु दर पर एसआरएस विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार, राजस्थान में मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 87 है। एसआरएस 2022 के अनुसार, राजस्थान में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 है। राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में टीकाकरण की वर्तमान स्थिति अनुलग्नक में दी गई है।

(ख): भारत सरकार ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने तथा देश भर में बच्चों के टीकाकरण की स्थिति में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत विभिन्न पहल की हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं:

- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एक माँग संवर्धन और सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन सहित निःशुल्क और बिना किसी खर्च के प्रसव का अधिकार देता है। इन अधिकारों में निःशुल्क दवाएँ और उपभोग्य वस्तुएँ, प्रसव के दौरान निःशुल्क आहार, निःशुल्क निदान, निःशुल्क परिवहन और आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क रक्त आधान शामिल हैं। बीमार शिशुओं के लिए भी इसी तरह के अधिकार लागू हैं।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को एक विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित दिन, निःशुल्क, सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच प्रदान करता है।

  विस्तारित पीएमएसएमए कार्यनीति गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती (एचआरपी) महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व परिचर्या (एएनसी) और पहचान की गई उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के साथ व्यक्तिगत एचआरपी ट्रैकिंग और पीएमएसएमए दौरे के अलावा अतिरिक्त 3 दौरों के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) के साथ ध्यान केंद्रित करती है।
- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा में आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु को निःशुल्क, सम्मानजनक, आदरपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना और सेवाओं से इनकार करने पर शून्य सहनशीलता अपनाना है, ताकि सभी रोके जा सकने वाली मातृ एवं नवजात मृत्यु को रोका जा सके।

- प्रसवोत्तर परिचर्या के अनुकूलन का उद्देश्य माताओं में खतरे के संकेतों का पता लगाने पर जोर देकर और ऐसी उच्च जोखिम वाली प्रसवोत्तर माताओं का शीघ्र पता लगाने, रेफरल और उपचार के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करके प्रसवोत्तर परिचर्या की गुणवत्ता को मजबूत करना है।
- नवजात स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का समाधान करते हुए, जिला और उप-जिला स्तर पर बीमार और छोटे नवजात शिशुओं को विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए सुविधा केंद्र आधारित नवजात परिचर्या (एफबीएनसी) कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष नवजात परिचर्या इकाइयों (एसएनसीयू) और नवजात स्थिरीकरण इकाइयों (एनबीएसयू) की स्थापना।

- आशा कार्यकर्ता गृह-आधारित नवजात परिचर्या (एचबीएनसी) और गृह-आधारित छोटे बच्चों की देखभाल (एचबीवाईसी) के अंतर्गत निर्धारित गृह दौरे करती हैं, जिससे बच्चों के पालन-पोषण की प्रथाओं में सुधार होता है और समय पर रेफरल और परिचर्या के लिए बीमार नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों की पहचान होती है।
- निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्क्रिय करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई (एसएएएनएस) पहल का लक्ष्य जागरूकता बढ़ाने और शीघ्र अंतक्षेप के माध्यम से निमोनिया से संबंधित बाल रुग्णता और मृत्यु दर को कम करना है।

- स्टॉप डायरिया अभियान ओआरएस और जिंक के उपयोग को बढ़ावा देने और बाल दस्त के कारण होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए कार्यान्वित किया गया है।
- बाल जीविता में सुधार हेतु राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की 32 स्वास्थ्य स्थितियों (अर्थात् रोग, कमियाँ, दोष और विकासात्मक विलंब) की जाँच की जाती है। आरबीएसके के अंतर्गत जाँचे गए बच्चों की पुष्टि और प्रबंधन के लिए जिला स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर जिला शीघ्र अंतक्षेप केंद्र (डीईआईसी) स्थापित किए जाते हैं।
- टीकाकरण कवरेज में सुधार के लिए देश भर में सभी पात्र लाभार्थियों की नाम-आधारित डिजिटल रिकॉर्डिंग, ट्रैकिंग और निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूविन को शुरू किया गया है।
- मिशन इंद्रधनुष सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत एक विशेष कैच-अप टीकाकरण अभियान है, जो कम टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्रों में दूरदराज और कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों सहित छूटे हुए और टीकाकरण से वंचित बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए चलाया जाता है।
- पल्स पोलियो कार्यक्रम के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (एनआईडी) जैसे विशेष टीकाकरण अभियान हर साल चलाए जाते हैं।
- टीकाकरण कवरेज में सुधार के लिए प्रचार-प्रसार, सामाजिक लामबंदी, सामुदायिक सहभागिता, पारिवारिक स्तर पर पारस्परिक संचार और मीडिया सहभागिता जैसे कार्यनीतिक अंतक्षेप किए जाते हैं।
- टीकाकरण पर राज्य कार्यबल (एसटीएफआई) और टीकाकरण पर जिला कार्यबल (डीटीएफआई) कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम बनाते हैं।

(ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सिकल सेल रोग (एससीडी) के सभी रोगियों को किफायती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण परिचर्या प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (एनएससीईएम)** का कार्यान्वयन कर रहा है। इस मिशन का उद्देश्य जागरूकता सृजन, जनजातीय क्षेत्रों के प्रभावित जिलों में 2025-26 तक 0-40 वर्ष आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की लक्षित जाँच और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से परामर्श के माध्यम से एससीडी के प्रसार को कम करना है। दिनांक 28 जुलाई 2025 तक, राजस्थान सहित 17 चिन्हित जनजातीय बहुल राज्यों में कुल 6,04,50,683 लोगों की जांच की जा चुकी है और 2,62,67,997 आनुवंशिक परामर्श पहचान पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें राजस्थान में 16,97,638 कार्ड शामिल हैं।

एससीडी से पीड़ित रोगियों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें लगातार फॉलो-अप, जीवनशैली प्रबंधन पर परामर्श, विवाह पूर्व और प्रसव पूर्व निर्णय, फोलिक एसिड वितरण के माध्यम से पोषण सहायता, योग और कल्याण सत्र आयोजित करना और संकट के लक्षणों का प्रबंधन और आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के माध्यम से उच्च-स्तरीय सुविधा केंद्रों के लिए रेफरल शामिल हैं।

(घ): भारत सरकार ने महिलाओं और बच्चों की संस्थागत प्रसव और पोषण स्थिति में सुधार के लिए एनएचएम के तहत विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं:

- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एक माँग संवर्धन और सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन सहित निःशुल्क और बिना किसी खर्च के प्रसव का अधिकार देता है। इन अधिकारों में निःशुल्क दवाएँ और उपभोग्य वस्तुएँ, प्रसव के दौरान निःशुल्क आहार, निःशुल्क निदान, निःशुल्क परिवहन और आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क रक्त आधान शामिल हैं। बीमार शिशुओं के लिए भी इसी तरह के अधिकार लागू हैं।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को एक विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित दिन, निःशुल्क, सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच प्रदान करता है।

  विस्तारित पीएमएसएमए कार्यनीति गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती (एचआरपी) महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व परिचर्या (एएनसी) और पहचान की गई उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के साथ व्यक्तिगत एचआरपी ट्रैकिंग और पीएमएसएमए दौरे के अलावा अतिरिक्त 3 दौरों के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) के साथ ध्यान केंद्रित करती है।
- लक्ष्य - गुणवत्ता सुधार पहल, प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण परिचर्या मिले।
- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु को बिना किसी लागत के सुनिश्चित, सम्मानजनक, आदरपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना और सेवाओं से इनकार करने के प्रति शून्य सहिष्णुता प्रदान करना है, ताकि सभी रोकी जा सकने वाली मातृ और नवजात मृत्यु को रोका जा सके।
- एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यक्रम को छह लाभार्थी आयु समूहों - बच्चों (6-59 महीने), बच्चों (5 -9 वर्ष), किशोरों (10-19 वर्ष), गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और प्रजनन आयु समूह (15-49 वर्ष) की महिलाओं में मजबूत संस्थागत तंत्र के माध्यम से छह हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के माध्यम से एनीमिया को कम करने के लिए कार्यान्वित किया गया है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) स्थापित किए जाते हैं, ताकि चिकित्सा जटिलताओं के साथ गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से पीड़ित 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भर्ती कर चिकित्सा और पोषण संबंधी परिचर्या प्रदान की जा सके।

- माताओं का पूर्ण स्नेह (एमएए) कार्यक्रम बच्चों में स्तनपान कवरेज में सुधार के लिए लागू किया जाता है, जिसमें स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत और पहले छह महीनों के लिए केवल स्तनपान के बाद आयु-उपयुक्त पूरक आहार प्रथाओं पर परामर्श शामिल है।
- नवजात गहन चिकित्सा इकाइयों और विशेष नवजात शिशु परिचर्या इकाइयों में भर्ती बीमार, समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले शिशुओं को सुरक्षित, पाश्चुरीकृत दाता मानव दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र (सीएलएमसी) स्थापित किए गए हैं।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान और पोषण सहित मातृ एवं शिशु देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) मनाए जाते हैं।

(ङ): राजस्थान राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्थानीय एनजीओ/सामुदायिक कार्यकर्ता के साथ कोई साझेदारी नहीं है।.

दिनांक 08.08.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3404 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक

राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में टीकाकरण की वर्तमान स्थिति		
जिला	टीकाकरण किए गये बच्चों की कुल संख्या	उपलब्धि **(%)**
टोंक	6811	94.2
सवाई माधोपुर	7262	86.1
स्रोत : एचएमआईएस(अप्रैल 2025 से जून 2025)		

******